न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव,
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 74/2020

मुरारीलाल पुत्र नारायण उर्फ रामनारायण शर्मा जाति ब्राहमण निवासी खरकडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 24/8/2020 नायब तहसीलदार कोटपूतली सरकार बनाम मुरारीलाल मु.नं. 01/2020 बाबत ख.नं. 408 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म चारागाह

निर्णय दिनांक 12.11.2020

अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार कोटपूतली मु.नं. 01/2020 बाबत ख.नं. 408 वाके मौजा खरकडी तहसील कोटपूतली रकबा 0.01 है0 किस्म चारागाह में पारित आदेश 24/8/2020 के विरूद्व अपील जरिये वकील पेश की है, जिसमें वर्णित तथ्य इस प्रकार प्रेषित हैं :–

1. उपरोक्त प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैकि पटवारी हल्का ने सम्वत 2077 में ग्राम खरखडी तहसील कोटपूतली के खसरा नम्बर 408/6.21 है0 किस्म चारागाह में से 0.01 है0 भूमि पर अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा पत्थर डालकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर रखा रिपोर्ट पेश की है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपीलान्ट/गैर सायल को धारा 91 के तहत् नोटिस जारी कर सुचित कर नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 24/8/2020 को बतौर अतिक्रमी मानकर उक्त आराजीयात् पर डाले गये पत्थरों को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये गये है तथा लगान का पचास गुना जुर्माना के आदेश जारी हुए है, जो कतई गलत निर्णय पारित किया है तथा उक्त निर्णय से प्रार्थी अपीलान्ट कतई सन्तुष्ट नहीं है, जबकि अपीलान्ट/गैर सायल के पास ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने पट्टे की भूमि पर पत्थर डलवाकर कब्जा सम्भलवाया था। उक्त आराजी पर किसी भी हिस्से पर कोई भी किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर रखा है। पटवारी हल्का द्वारा बिना सीमाज्ञान किये बिना जॉच किये झूठी रिपोर्ट तैयार कर बिना नाप–तोल किये मात्र कयास के आधार पर उक्त झूठी रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 24/8/2020 को उक्त निर्णय पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

फरमायी जाकर आदेश दिनांक 24/8/2020 द्वारा नायब तहसीलदार कोटपूतली ब उनवान सरकार बनाम मुरारीलाल मु.नं. 01/2020 बाबत ख.नं. 408 रकबा 0.01 है0 किस्म चारागाह निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलान्ट की अपील मंजूर की जावें।

2. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी, रिपोर्ट समायत पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु जारी सम्मन नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली किया गया।

3. बहस सुनी गयी, वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि पटवारी हल्का द्वारा सम्वत 2077 में ग्राम खरखडी के आ.ख.नं. 408 रकबा 6.21 है. किस्म चारागाह में से 0.01 है0 भूमि पर नाजायज अतिक्रमण बाबत बिना मौके पर पहुच कर बिना नाप तोल व सीमाज्ञान के मात्र कयास के आधार पर झूठी रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली के यहां उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गयी गलत रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा मु.नं. 01/2020 ब उनवान सरकार बनाम मुरारीलाल में अपीलान्ट/गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुए उक्त आराजी से पत्थरों को नीलाम कर भौतिक रूप से बेदखल करने तथा जुर्माना के आदेश दिनांक 24/8/2020 को पारित किये है, जो प्रार्थी/अपीलान्ट को बिना सुने पारित किये है वह न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्त के विपरीत है। अपीलान्ट/गैर सायल के पास ग्राम पंचायत का पट्टा है। ग्राम पंचायत एक स्वतंत्र निकाय है, जो आबादी भूमि में पट्टा दे सकती है। ग्राम पंचायत के सरंच द्वारा ही पट्टेशुदा भूमि पर पत्थर डलवाकर कब्जा सम्भलवाया था। प्रार्थी अपीलान्ट का उक्त आराजी के किसी भी हिस्से पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है । यदि सीमाज्ञान के उपरान्त प्रार्थी अपीलान्ट के पत्थर चारागाह के आ.ख.नं. 408 में आते है तो उसी समय उढा लेगा। पटवारी हल्का द्वारा कार्यालय में बैठकर झूठी रिपोर्ट तैयार की है। उक्त झूठी रिपोर्ट के विश्वास से अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्व निर्णय पारित किया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित आदेश 24/8/2020 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करने के आदेश प्रदान किये जावें।

4. बहस पैरोकार नायब तहसीलदार कोटपूतली सुनी गयी। पैरोकार द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि पटवारी हल्का द्वारा LR ACT 1956 की धारा 91 के तहत् रिपोर्ट अतिक्रमण बाबत पेश करने पर गैर सायल का अतिक्रमण पाये जाने पर गैर सायल को उक्त मु.नं. 01/2020 सरकार बनाम मुरारीलाल में निर्णय दिनांक 24/8/2020 को पारित किया जाकर आ.ख.नं. 408 रकबा 0.01 है0 पर गैर सालय द्वारा पत्थर डालकर नाजायज रूप से अतिक्रमण किया है उसे मौके से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये है, जो पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया गया है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को खारिज फरमावें।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रकरण धारा 91 LR ACT का अतिक्रमण से सम्बन्धित है। प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खरकडी के आ.ख.नं. 408 रकबा 6.21 है0 किस्म चारागाह में से 0.01 है0 भूमि पर गैर सायल/अपीलान्ट का नाजायज रूप से अतिक्रमण मानते हुए अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्व निर्णय दिनांक 24/8/2020 को पारित कर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने एवं जुर्माना वसूली के आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

ति. जिला कलक्टर
को. (जयपुर)

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस से जाहिर किया है कि पटवारी हल्का द्वारा कार्यालय में बैठकर झूठी रिपोर्ट तैयार कर बिना मौकी की जाँच किये तथा बिना सीमाज्ञान व नाप तोल किये अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष रिपोर्ट पेश की है, जबकि अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा उक्त चारागाह भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी को पट्टा जारी कर रखा है अपीलान्ट की पट्टाशुदा आबादी भूमि में ग्रा.पं. के सरपंच द्वारा पत्थर डलवाये जाकर कब्जा सम्भलाया है। यदि सीमाज्ञान के उपरान्त अपीलान्ट का उक्त ख. नं. 408 किस्म चारागाह में पत्थर डले होना अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलान्ट उक्त पत्थरों को स्वयं उठाने को तैयार है। पटवारी हल्का द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर कयास के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने मु.नं. 01/2020 ब उनवान सरकार बनाम मुरारीलाल में दिनांक 24/8/2020 को जो निर्णय पारित किया है उसे स्थिगित किया जावे तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को स्वीकार किया जावें।

चूँकि वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में जाहिर किया है कि पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जाँच किये तथा सीमाज्ञान किये एवं नाप तोल किये बिना झूठी रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 24/8/2020 को जो निर्णय पारित किया है वह न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है जबकि अपीलान्ट को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था तथा मौके की जाँच कर तथा सीमाज्ञान करवाया जाकर सही रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया जाना चाहिए था अपीलान्ट के वकील के कथनानुसार अपीलान्ट को ग्रा.पं. के सरपंच द्वारा आबादी भूमि में पत्थर डलवाये है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट के हक में जारी किया हुआ है। इसके अलावा प्रस्तुत बहस में यह भी जाहिर किया है कि यदि अपीलान्ट के पत्थर सीमाज्ञान कराये जाने के उपरान्त चारागाह भूमि ख.नं. 408 वाके ग्राम खरखडी तहसील कोटपूतली में पडे होना अतिक्रमण पाया जाता है तो स्वयं हटाने को तैयार है।

इससे स्पष्ट होता है कि सीमाज्ञान के उपरान्त ही यह रिपोर्ट स्पष्ट हो पायेगी कि पत्थर चारागाह की भूमि में पडे है या आबादी भूमि में डलवा रखे है तब तक अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 24/8/2020 की क्रियान्विती स्थिगित रखी जाती है तथा अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। यदि मौके पर सीमाज्ञान के उपरान्त भी अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलान्ट के विरूद्व पुनः विधि सम्मत कार्यवाही के लिए तहसीलदार कोटपूतली स्वतंत्र होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

6. निर्णय आज दिनांक 12-11-20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)